

प्रधान महालेखाकार (ले०&ह०) का
कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार - 800001



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE PRINCIPAL
ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

संख्या -प्रशि. एवं परीक्षा/25-26/ बी- 140
दिनांक 07/11/2025
कार्यालय आदेश

वर्ष 2025-26 के लिए इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार, अधोलिखित पाठ्यक्रमों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है :-

अवधि: 10.11.2025 से 12.11.2025

समय: 10.45 पू. to 12.00 अप. & 12.15 अप. to 01.30 अप.

स्थान: हिन्दी कक्ष (6^{वीं} मंजिल)

क्रम सं०	प्रतिभागियों का नाम (श्री/श्रीमति)	पदनाम	अनुभाग	विषय	तिथि	प्रशिक्षक (श्री/श्रीमति)
1.	समरजीत सिंह	व. ले.	प्रशा-3	Different aspects of LTC, DA, TA, Medical Advance etc.	10.11.2025	दिनेश कुमार मंडल, स.ले.अ.
2.	रिपु सूदन	व. ले.	प्रशा-3			
3.	निताश कुमार	लेखाकार	प्रशा-3			
4.	चन्दन कुमार	व. ले.	प्रशा-3			
5.	नृपेन्द्र कुमार	व. ले.	प्रशा-2			
6.	कुमार गौरव	लेखाकार	WM-I		11.11.2025	अविनाश चंद्रा, स.ले.अ.
7.	रितेश रंजन	लेखाकार	WM-I			
8.	ए०आर० सिद्धीकी	व. ले.	WM-I			
9.	आकाश कुमार	लेखाकार	PAO-I			
10.	गौरव कुमार	व. ले.	PAO-I		12.11.2025	गुड्डू कुमार, स.ले.अ.
11.	शंभू कुमार	स. प.	PAO-II			
12.	सतोष कुमार सिंह	डी०ई०ओ०-ए	प्रशा-2			
13.	राकेश कुमार	डी०ई०ओ०-ए	प्रशा-1			
14.	शहरियार मानूसी	व. ले.	ITA			
15.	सत्येंद्र नारायण पाठक	लेखाकार	ITA			

नोट- प्रशिक्षण से अनुपस्थिति को गम्भीरता से लिया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त प्रशिक्षण में समय पर उपस्थित हों।

Digitally signed by
Omnkar

Date: 04-11-2025

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

17:38:11

दिनांक: 07/11/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित:

ज्ञापन संख्या: प्रशिक्षण एवं परीक्षा/ ले. एवं हक./आरसीबी&केआई/25-26/ 19

1. प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) सचिवालय।
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं जीई) सचिवालय।
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार (पेंशन एवं फंड) सचिवालय।
4. उप महालेखाकार (लेखा, भीएलसी एवं कार्य) सचिवालय।
5. स.ले.अ./जीडी से उक्त प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध किया जाता है
6. हिंदी अधिकारी/हिंदी सेल
7. स.ले.अ./आईटीएस इस कार्यालय आदेश को आधिकारिक साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित व्यक्ति/नोटिस बोर्ड/टेलिग्राम ग्रुप

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशिक्षण एवं परीक्षा